

Regarding violation of terms of lease agreement of land of BHEL, Bhopal leased out to industrialists)-laid

श्री आलोक शर्मा (भोपाल) : भोपाल में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) को उद्योग स्थापना के लिए 4479.21 एकड़ भूमि दी गई थी। इस भूमि में से करीब 75 एकड़ भूमि अन्य उद्योगपतियों को सब लीज पर रानी कमलापति स्टेशन के पास दी गई थी। बीएचईएल द्वारा अनुबंध शब्दों का उल्लंघन करते हुए इन उद्योगपतियों ने माननीय न्यायालय में केस लगा रखा है। लीज का पैसा भी बीएचईएल को नहीं दे रहे हैं। जिस परिजन के लिए जमीन दी गई थी, वह प्रयोजन की भी पूर्ति नहीं करते। जांच कमेटी गठित कर इस पूरे मामले की जांच हो। बीएचईएल की रिक्त भूमि 2000 एकड़ पर भी भूमाफिया के गठजोड़ से लीज रेंट पर देने का प्लान बनाया गया है। यह प्लान निरस्त कर उक्त 2000 एकड़ भूमि पर प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना स्टार्टअप की शुरुआत कर युवाओं को रोजगार प्रदान करें।